UPEW010046742019

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–1, इटावा।

उपस्थितः अखिलेश कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. CODE : UP6281

सत्र परीक्षण संख्या–188/2019

राज्य बनाम विनोद कुमार।

मु०अ०सं०–137/2019
धारा–272, 420, 467, 468, 471, 411
भा०दं०सं० एवं 60/63 आबकारी अधि०
थाना–सिविल लाइन, जिला–इटावा।

दिनांकः–10.04.2026

1– पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त विनोद कुमार अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में उक्त वाद की अभियुक्त विनोद कुमार की तलब मृत्यु आख्या पर थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा जारी प्रक्रिया पर अभियुक्त विनोद कुमार की मृत्यु होना अंकित करते हुए उपरोक्त मृतक/अभियुक्त की मृत्यु आख्या के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर साक्ष्य तामील कुनिन्दा हेतु उपनिरीक्षक एहरार खाँ एवं श्रीमती सरोज यादव ग्राम प्रधान को तलब किया गया। तदुपरांत उपनिरीक्षक एहरार खाँ को सी०डब्लू०–1 तथा सी०डब्लू०–2 के रूप में श्रीमती सरोज यादव ग्राम प्रधान को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। सी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक एहरार खाँ ने अपने बयान में अभियुक्त विनोद कुमार की मृत्यु के सम्बंध में स्वंय की आख्या **प्रदर्श ख–1**, संलग्न मृत्यु प्रमाणपत्र की आख्या **प्रदर्श ख–2** को साबित किया है तथा सी० डब्लू०–2 श्रीमती सरोज यादव ने स्वंय की तहरीरी आख्या **प्रदर्श ख–3** को साबित किया है।

2– इस प्रकार उपरोक्त प्रपत्रों व सी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक एहरार खाँ तथा सी०डब्लू०–2 श्रीमती सरोज यादव के साक्ष्य से यह तथ्य स्थापित होता है कि मृतक/अभियुक्त विनोद कुमार की मृत्यु को हो चुकी है। उपरोक्त परिस्थितियो में उपरोक्त के विरुद्ध वाद की कार्यवाही आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है और अभियुक्त विनोद कुमार के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्त **विनोद कुमार** के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। कार्यालय सी.आई.एस. में सम्बन्धित पक्षकार के नाम के आगे मृतक–उपशमित लिखाया जाना सुनिश्चित करे। चूँकि पत्रावली के एकमात्र अभियुक्त **विनोद कुमार** की मृत्यु हो चुकी है, अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–1, इटावा।

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2026.04.10 17:18:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court